न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2026/59

मिसल नम्बर– 1/2026

1.मंगतिया पुत्र कालूराम जाति मेहतर

2.चन्द्रकला पत्नी मंगतिया जाति मेहतर निवासीगण मडिया बस्ती बालीता कुन्हाडी कोटा हाल निवासी 182 हरिजन बस्ती नयापुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.विजय पुत्र मंगतिया जाति हरिजन

2.शीला पत्नी विजय जाति हरिजन निवासीगण मडिया बस्ती बालीता कुन्हाडी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 15/5/26

उपस्थिति:–

1.श्री अब्दुल वहीद खान प्रार्थी अधिवक्ता।

2.अप्रार्थीगण स्वयं।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वृद्ध सिनियर सिटीजन व्यक्ति है ओर वृद्धावस्था की बीमारियों से ग्रसित है, प्रार्थीगण जेरे इलाज है, तथा प्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व व स्वअर्जित आय का एक मकान वाकै मंडिया बस्ती बालीता कुन्हाड़ी कोटा पर पेमाईशी 40 बाई 67 वर्गफूट का स्थित है जिस पर प्रार्थीगण ने कच्चा घर 10 बाई 18 फूट व चौक, दो कमरे 10 बाई 13.5 –10 बाई 13.5 फूट पर नीवें भरी हुई है व एक कमरा 10 बाई 11.5 फूट का बना हुआ है,उक्त मकान की चतुर्थसीमाये निम्न प्रकार से है– पूरब खुली जमीन, पश्चिम बाबूलाल ,दुर्गालाल का मकान, उत्तर मांगीलाल का मकान एवं दक्षिण दाखा बाई का मकान है। उक्त मकान पर प्रार्थी क्रम 1 के नाम पर बिजली कनेक्शन लगे हुए है,प्रार्थीगण उक्त मकान के मालिक है,स्वअर्जित आय का बनाया हुआ है। प्रार्थी के तीन पुत्र राजेन्द्र वीरू,विजय है,जिसमे राजेन्द्र व वीरू नयापुरा हरिजन बस्ती कोटा में निवास करते है,व विजय व उसकी पत्नी प्रार्थी के उक्त मकान में ही निवास करते है,जो शराबी लडाकू झगडालू प्रवृति के है,जिनके द्वारा प्रार्थीगण के उक्त मकान पर एक कच्चा घर 10 बाई 18 फूट व चौक पर कब्जा कर रखा है,उसके फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखे है, ओर उक्त सम्पूर्ण मकान पर अप्रार्थीगण द्वारा येनकेन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकारेण अवेध अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से आये प्रार्थीगण के साथ दिन गाली गलोच लड़ाई झगड़ा करते है,मारपीट पर आमादा हो जाते है,कई बार प्रार्थीया चन्द्रकला के साथ अप्रार्थीया क्रम 2 ने चोटी पकडकर घसीटकर मारपीट की ओर अप्रार्थीगण शराब पीकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते है,मारपीट करते है,जीना दुश्वार कर रखा है,तथा प्रार्थी क्रम 1 को अप्रार्थीया क्रम 2 झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकीया देती है, अप्रार्थीगण ने प्राथीगण को उनकी असहाय व बीमार वृद्वावस्था का फायदा उठाकर मारपीट कर मकान से प्रार्थीगण को बेदखल कर भगा दिया है,प्राथीगण मजबूरन अपने अन्य पुत्रो के साथ नयापुरा इस्माईल चोक हरिजन बस्ती कोटा में निवास कर रहे है,प्रार्थीगण जब भी अपने मकान पर जाते है,तो उक्त अप्रार्थीगण लडाई झगडा,गाली गलोच करते हुए मारपीट करने पर आमादा हो जाते है,ओर जान से मारने की धमकीया देते है,मकान मे घुसने नही देते है,बाहर से ही भगा देते है। उपरोक्त कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त मकान में अप्रार्थीगण को नही रखना चाहते है,अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को मकान से बेदखल कर पूरे मकान पर कब्जा कर लिया है, अप्रार्थीगण उक्त मकान से नही निकल रहे है,कब्जा जमाये हुए है,प्रार्थीगण उक्त मकान के मालिक है,स्वअर्जित आय से बनाया हुआ है,प्रार्थीगण अभी 10–15 दिन पूर्व भी प्रार्थीगण अपने मकान पर गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को मकान के बाहर से ही गाली गलोच की व मारपीट करने पर आमादा हो गये ओर धक्के देकर भगा दिया,प्रार्थीगण ऐसी अवस्था में अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान मे नही रखना चाहते है,बेदखल कर भगा दिया है,तथा दुबाराभी प्रार्थीगण दिनांक 1.12.2025 को मकान पर गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को मकान के बाहर से ही गाली गलोच की व मारपीट करने पर आमादा हो गये, ओर प्रार्थीगण को धक्के देकर भगा दिया, इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनके कृत्य के लिए कार्यवाही की जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के स्वामित्व व स्वअर्जित वाले मकान जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद क्रम 1 में दिया गया है, से बेदखल किये जाने व प्राथीगण को मकान का कब्जा संभलाये जाने का आदेश प्रदान करे,अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के पक्ष मे हो अता फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, उपरोक्त वर्णित मकान के इकरारनामा की प्रति एवं बिजली का बिल पेश किया है। जिसके अवलोकन से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(8)

यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित मकान मडिया बस्ती बालीता कुन्हाडी कोटा प्रार्थी नं0 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है।

प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि उक्त सम्पूर्ण मकान पर अप्रार्थीगण द्वारा येनकेन प्रकारेण अवैध अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से आये प्रार्थीगण के साथ आये दिन गाली गलोच, लडाई झगडा करते है और मारपी पर आमादा हो जाते है।

अप्रार्थीगण को प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होने के पश्चात भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना अप्रार्थीगण का न्यायालय एवं न्यायिक कार्यवाही के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किये जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति इकरारनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित मकान मडिया बस्ती बालीता कुन्हाडी कोटा प्रार्थी नं0 1 की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रार्थीगण को पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करने के बजाय प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। अतः प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नही किये जाने के कारण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मडिया बस्ती बालीता कुन्हाडी कोटा से बेदखल किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 5 योम मकान मडिया बस्ती बालीता कुन्हाडी कोटा को खाली कर देवें। बेदखली के आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी कुन्हाड़ी कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 10/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ (राजस्थान)